PAGE 1OF 3	अभियोजन साक्षी संख्याः 05

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1595/2020		
राज्य	**बनाम**	रामनरेश

नाम साक्षीः अमित कुमार सिंह पुत्र स्व० रामपाल सिंह	अपराध संख्या-48/2020
उम्रः लगभग 46 वर्ष, पेशाः चिकित्सक	धारा- 302 भा0 द 0 वि0
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः सी०एच०सी० संदलपुर, कानपुर देहात	थाना-सट्टी, कानपुर देहात।

दिनांकः-08.01.2026

मैं **साक्षीः अमित कुमार सिंह पुत्र स्व० रामपाल सिंह, उम्रः लगभग 46 वर्ष, पेशाः चिकित्सक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः सी०एच०सी० संदलपुर, कानपुर देहात** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि....

1. दिनांक 21.04.2020 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस अकबरपुर, कानपुर देहात में थी। उसी दिन मृतका श्रीमती तारा देवी पत्नी रामनरेश उर्फ भूरा, उम्र लगभग 32 वर्ष निवासिनी महकापुर, थाना सट्टी का शव का० दिनेश कुमार व अभिषेक कुमार व महिला का० शालू देवी थाना सट्टी द्वारा मेरे पास समय 2:00PM बजे पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस लाया गया था।

2. मेरे द्वारा मृतका के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही दिनांक 21.04.2020 समय दिन 02:50 PM पर शुरू की गयी थी। शरीर कद-काठी औसत था। मृतका की लम्बाई 164 CM थी। मृतका के शरीर के निचले एवं ऊपरी भाग में मृत्यु पश्चात अकड़न मौजूद थी। पी०एम० स्टैनिंग शरीर के पीठ व नितम्बो पर व जांघों में मौजूद थी। मृतका की दोनों आंखे बंद थी व मुंह अधखुला था।

3. **<u>मृत्यु पूर्व चोटेंः-</u>**

I. एक फटा हुआ घाव 5cm x 4 cm था जो कि सर के दाहिने तरफ Occipito perital भाग में स्थित थी। जिसके नीचे की हड्डी फ्रेक्चर थी व यह चोट दाहिनी कान के पिन्ना से 9cm ऊपर स्थित थी।

II.एक फटा हुआ घाव जिसका साइज 3cm x2.5cm जो कि सर के दाहिने भाग में दाहिनी कान के एकदम ऊपर स्थित थी।

III. एक पंचर घाव जिसका साइज 2cm x 2.5cm जो कि चेहरे का दाहिने भाग में था तथा नीचे की Maxillary हड्डी टूटी हुई थी।

4. **<u>आन्तरिक परीक्षणः-</u>**

मस्तिष्क एवं मस्तिष्क की झिल्लियाँ Pale थी। ब्रेन पीला था। दोनो फेफड़े Pale थे। हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे। दांत 16/16 थे और लूज थे। अमाशय में अधपचा भोजन मौजूद था। मुत्राशय खाली था। सिर के पीछे की हडडी टूटी हुई थी। लीवर, तिल्ली, पैन्क्रियाज व दोनों किडनी Pale थी। गालब्लेडर आधा भरा था। छोटी आंत आधी गैस से भरी थी और बड़ी आंत में गैस व मल मौजूद था। गर्भाशय खाली था।

5. **<u>अभिमतः-</u>**

मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने से लगभग एक दिन के आसपास की थी। मृतका की मृत्यु का कारण Shock And Haemorrhage था, जो कि मृत्यु के पूर्व आई चोटों से रक्तस्राव के कारण था। सारी चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। ये चोटें किसी भी Hard and blunt object से आ सकती थी।

6. पोस्टमार्टम की कार्यवाही के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। जो मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **<u>प्रदर्श P-3</u>** अंकित किया गया।

7. पोस्टमार्टम की कार्यवाही के पश्चात मृतका का शव, इन्क्वेस्ट पेपर व कपड़े व मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का० अभिषेक कुमार व महिला का० शालू देवी थाना सट्टी को सुपुर्द कर मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे।

8. विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त

9- मृत्यु पश्चात आने वाली अकड़न मृतका के शरीर पर मौजूद थी।

10. मृतका के शरीर पर आयी चोट संख्या 1 व 2 गिरने से भी आ सकती हैं।

11. चोट संख्या 3 किसी नुकीली चीजे से टकराने के कारण भी आना संभव है।

12. मृतका के शरीर पर आयी सभी चोटें किसी नुकीली वस्तु पर गिरने या टकराने से आना सम्भव है।

13. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम नियमानुसार देखकर न किया गया हो।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

hans